फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

जेठाराम वगैरा
बनाम
चूनीदेवी वगैरा

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना–पत्र न.०4 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2020	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता आवेदक/प्रार्थी उप.। प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151 सी पी सी पेश किया। आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता आवेदक/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 33/2015 में दिनांक 17.08.2017 को इस आशय से स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर साक्ष्य व सबूत लेकर विधिवत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय हाजा ने अपील के दौरान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना से वाद संख्या 262/2015 चूनीदेवी बनाम सोनाराम की पत्रावली तलब की गयी और अपील संख्या 33/2015 का निर्णय दिनांक 17.08.2017 को होने के बाद मूल पत्रावली सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना को आदेश के साथ लौटाई गयी किन्तु लम्बे समय के बाद भी उक्त पत्रावली नहीं पहुंचने के बाद भी उतरदाता चूनीदेवी मय वकील से निवेदन किया और श्रीमान ने पत्रांक 16/5 दिनांक 26.11.2019 प्राप्ति बाबत् पत्र लिखा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना ने क्रमांक 838 दिनांक 04.12.2019 को पत्र से सूचित किया कि उक्त पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। उक्त पत्रावली न तो सक्षम न्यायालय में न ही सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना के पास है अपील संख्या 33/2015 रिमाण्ड केस है इस सम्बन्धित दावा निर्णय व डिक्री व सक्षम न्यायालय के निर्णय 17/08/2017 अपील संख्या 33/2015 के सम्बन्धित आदेशों की प्रमाणित फोटो कॉपियों पेश है। अतः राजस्व वाद निर्णय व डिक्री मय अपील निर्णय की प्रमाणित फोटो कॉपियो पर समुचित अनुसंधान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व वाद संख्या 262/2015 बअनवान चूनी देवी बनाम सोनाराम का विधि सम्मत न्याय करने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता आवेदक/प्रार्थी को आवेदन पर सुना गया। आवेदक/प्रार्थी अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 33/2015 में अधीनस्थ न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 262/2015 की पत्रावली तलब की गई। न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 17.08.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय हाजा की मूल अपील पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश क्रमांक 1780 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा भिजवाई गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट को न्याय प्राप्ति में विलंब हो रहा है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट का आवेदन स्वीकार करने योग्य ठहरता है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय के अनुसार सत्य प्रतियों के आधार पर पालना की जाये तथा साथ ही पाबंद किया जाता है कि मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उसका किसी तरह से दुरपयोग नहीं किया जावे। आवेदन फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। 19/2/20 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner